न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 78/2018 राजस्व अपील

1. रोशन } पुत्रान पूरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम गावडी उप तहसील सिकन्दरा
2. उमराव } तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उपतहसील सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नायब तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 17.07.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रोशन, उमराव मु.न. 973/2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक: 21.12.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त प्रकरण की पूर्व में भी एक अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा में प्रस्तुत की गई थी जिस पर इस न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी। जिस पर नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पूर्व का निर्णय दिनांक 18.02.2015 को स्थगित किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके की जांच किये पुनः अपीलॉन्ट्स को अतिक्रमी मानते हुये अपीलान्ट्स को साक्ष्य एवं सबूत का कोई अवसर नहीं दिया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा आराजी भूमि खसरा नम्बर 59 किस्म चरागाह रकबा 0.40 हैक्टेयर पर रोशन, उमराव पुत्र पूरण जाति गुर्जर निवासी गावडी द्वारा सम्वत 2075 में काश्त किये जाने को पुनः अतिक्रमण मानते हुये अवैध एवं विधि विरूद्व तरीके से दिनांक 17.07.2018 को पुनः आदेश पारित कर 50 गुना शास्ति आरोपित कर अतिक्रमण शुदा आराजी से बेदखल करते हुये 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 17.07.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा पुनः यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय गैर कानूनी होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट्स को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देकर कानून के सिद्धान्त की अवहेलना करते हुये यह निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट बिना मौका मुआयना किये ही बनाई है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को पुनः अतिक्रमी मानते हुये यह निर्णय पारित किया है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा निवेदन किया कि श्रीमान के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति0 जिला कलेक्टर
दौसा

न्यायालय में पूर्व में अपीलान्ट्स द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया था उसकी पालना में अपीलान्ट्स द्वारा मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके की जांच किये बिना ही अपीलान्ट्स को उक्त आदेश से दण्डित किया है। अपीलान्ट्स का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतिक्रमी द्वारा संवत 2075 में ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित आराजी खसरा नम्बर 59 किस्म चरागाह रकबा 0.40 हैक्टेयर पर बाजरे की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 17.07.2018 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने, 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय दिनांक 17.07.2018 पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की अपीलान्ट्स का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित आराजी खसरा नम्बर 59 किस्म चरागाह रकबा 0.40 हैक्टेयर पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत् शपथ पत्र नायब तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं नायब तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.07.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा